न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 196/2023 दायर दिनाँक 12.09.2023

वादी

1. मो0 मुन्शी कुरेशी पुत्र मो0 ईशाक जाति कुरेशी निवासी कुदड़ की ढाणी, शेखाबासनी, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. अब्दुल कलाम पुत्र मो0 ईशाक
2. अब्दुल गफार पुत्र मो0 ईशाक
3. अब्दुल जब्बार पुत्र मो0 ईशाक
4. अब्दुल सलाम पुत्र मो0 ईशाक समस्त जातिगण कुरेशी निवासीगण गुदड़ की ढाणी शेखावासनी तहसील डीडवाना
5. पीरा पुत्र चान्दु
6. घीसू पुत्र चान्दु
7. नेनू पुत्र चान्दु
8. फुलीदेवी पुत्री नाथूराम
9. बबलू पुत्र नाथूराम
10. रतनी पत्नी नाथूराम
11. मदनलाल पुत्र शंकरलाल
12. कालूराम पुत्र शंकरलाल
13. प्रेमाराम पुत्र शंकरलाल
14. नेना पुत्र कालू समस्त जातिगण नायक निवासीगण कटारिया बास, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।
15. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी।
2. श्री महावीर प्रजापत वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 10.06.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 14 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के वर्तमान खेत खसरा सं0 1128 रकबा 16.5100 हैक्टे0 वाकै सरहद डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना अवस्थित है। उक्त खेत की भूमि में वादी वं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 ता 14 का 1/2 हक अधिकार व कब्जा काश्त रहा है।

यह है कि उक्त खेत की भूमि व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें वादी के पिता स्व0 मो0 ईशाक का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 ता 14 के पूर्वज शंकरलाल पुत्र नानू का 1/2 हक हिस्सा रहा है। स्व0 मो0 ईशाक व प्रतिवादी सं0 5 ता 14 के पूर्वज शंकरलाल पुत्र नानू द्वारा मौखिक रूप से आज से करीब 50 वर्ष पूर्व भौतिक रूप से बंट कर खेत का उत्तरी आधा हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 ता 14 के पूर्वज स्व0 शंकरलाल पुत्र नानू के हक बंट में तथा दक्षिणी 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता स्व0 ईशाक के हक बंट व कब्जे काश्त में सदैव रहा। इसी अनुरूप वादी व प्रतिवादीगण अपने पिता के समय से काबिज व काश्त चले आ रहे है। [illegible] भूमि वादी व

यह है कि वर्तमान खेत खसरा सं0 1128 रकबा [illegible] उक्त भूमि का भौतिक प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज [illegible] सं0 5 ता 14 के रूप से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के [illegible] स्व0 मो0 ईशाक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:02:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

पूर्वज स्व0 शंकरलाल पुत्र नानु के बीच भौतिक रूप बंटवारा होकर अलग-अलग मींडे-मींडे कायम रही तथा प्रतिवादी सं0 5 ता 14 द्वारा अपने हक अधिकार की 1/2 उत्तरी भूमि में से अन्य को विक्रय हस्तान्तरण कर दी है। जिसका कोई विवाद इस दावे में नही है। परन्तु उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण व आगामी भविष्य विवाद की स्थिति उत्पन्न नही हो, इस कारण बंटवारे का वाद पेश करना लाजमी हुआ है। हस्तगत वाद की विषय वस्तु वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के हक अधिकार की दक्षिणी भूमि ही है। प्रतिवादी सं0 5 ता 14 की भूमि में वादी पक्ष का कोई क्लैम हक नही है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :-

यह है कि खेत खसरा सं0 1128 रकबा 16.5100 हैक्टे0 वाके सरहद डीडवाना वादी व प्रतिवीगण के बीच संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग-अलग खातेदारी दर्ज की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 05 ता 15 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने दिनांक 10.10.2023 को राजीनामा पेश किया। वादी की पहचान वकील श्री अल्ताफ हुसैन व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री महावीर प्रजापत ने की। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिशल किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया सरहद डीडवाना के आराजी खसरा सं0 1128 रकबा 16.5100 हैक्टयर के वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 सहखातेदार है। बाहमी बंटवारा के अनुसार विधिवत बन्टवारा करवाने की वादी इस्तदुआ कर रहा है। बाहमीं बन्टवारा की पुष्टि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादीगण सं0 5 ता 14 की भूमि में वादीपक्ष कोई क्लेम पेश नही कर रहा है तथा ना ही प्रतिवादीगण सं0 5 ता 14 ने वाद पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की है। प्रश्नगत भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 सहखातेदार है। सहखातेदार होने के कारण वादी बन्टवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा के परिपेक्ष्य में वी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

-:: आदेश ::-

दावा डिक्री सादिर कर सरहद डीडवाना के आराजी खसरा सं0 1128 रकबा 16.5100 हैक्टयर का बाईमीटस् एण्ड बाउन्डस से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 10.10.2023 एवं नजरी नक्शा में वर्णितानुसार भूमि का वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग होगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 10.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:02:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्याः 196/2023 दायर दिनॉक 12.09.2023

वादी		प्रतिवादी
1. मो0 मुन्शी कुरेशी पुत्र मो0 ईशाक जाति कुरेशी निवासी कुदड़ की ढाणी, शेखाबासनी, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0।	बनाम्	1. अब्दुल कलाम पुत्र मो0 ईशाक 2. अब्दुल गफार पुत्र मो0 ईशाक 3. अब्दुल जब्बार पुत्र मो0 ईशाक 4. अब्दुल सलाम पुत्र मो0 ईशाक समस्त जातिगण कुरेशी निवासीगण गुदड़ की ढाणी शेखाबासनी तहसील डीडवाना 5. पीरा पुत्र चान्दु 6. घीसू पुत्र चान्दु 7. नेनू पुत्र चान्दु 8. फुलीदेवी पुत्री नाथूराम 9. बबलू पुत्र नाथूराम 10. रतनी पत्नी नाथूराम 11. मदनलाल पुत्र शंकरलाल 12. कालूराम पुत्र शंकरलाल 13. प्रेमाराम पुत्र शंकरलाल 14. नेना पुत्र कालू समस्त जातिगण नायक निवासीगण कटारिया बास, डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0। तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

दिनॉक 10.06.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी व श्री महावीर प्रजापत वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 04 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर सरहद डीडवाना के आराजी खसरा सं0 1128 रकबा 16.5100 हैक्टयर का बाईमीटस् एण्ड बाउन्डस से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 10.10.2023 एवं नजरी नक्शा में वर्णितानुसार भूमि का वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग होगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—...............

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.06.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:02:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:02:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner